न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- जबर सिंह आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 51/2016 दायर दिनांक: 25.07.2016

उनवान

1. मोतीलाल आयु 52 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. लटूरलाल आयु 64 वर्ष पुत्र श्रीकिशन जाति मीणा निवासी छानीछेड़ा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

उपस्थिति :-

प्रार्थीगणः- विद्वान अभिभाषक श्री विनोद प्रताप सिंह

अप्रार्थीगणः- विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर

-:आदेशः-

दिनांक 26.10.2017

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी ने उपरोक्त शीर्षक का एक वाद पत्र व प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है। जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के अनुसार वाके ग्राम व माल बरलां तहसील अटरू जिला बारां की खाता सं0 202 की ख0नं0 41 की 0.51 है0 व ख0नं0 40 की में से 0.02 है0 कुल दो किता की 0.53 है0 आराजी को खातेदार अप्रार्थी कम 1 लटूरलाल पुत्र श्रीकिशन मीणा ने अदला बदली कर प्रार्थी के खाते की ग्राम बरलां तहसील अटरू की ख0नं0 849 में से पूरब दिशा की 0.53 है0 भूमि ली थी तथा प्रार्थी को अपने हिस्से, कब्जे व स्वामित्व की आराजी पर कब्जा सम्भला दिया था तथा एक तहरीर 100/- रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 22.06.2018 निष्पादित कर अपने हस्ताक्षर व दो गवाहान के हस्ताक्षर कर प्रार्थी को सुपुर्द की थी। तब से ही उक्त भूमि पर प्रार्थी का निर्बाध रूप से कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है। कब्जा सम्भालने के बाद प्रार्थी ने उक्त जमीन की लेवलिंग

Scanned by CamScanner

करवाकर एवं दो बोर (ट्यूबवेल) करवाकर जमीन की पत्थरो के कोट से चारदीवारी करवा ली है। उक्त आराजी पर प्रार्थी वर्तमान में फसल सोयाबीन की बो रखी है जो लगभग 20 दिन की हो गई है। लेकिन अप्रार्थी कम 1 के मन में बदयान्ति आ गई है। इस कारण वह उक्त आराजी को बैचान व खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। इस आशय की धमकी उसने दिनांक 22.07.2016 को प्रार्थी को दी। बिना सहायता न्यायालय अप्रार्थी कम 1 को उसके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नहीं है। यदि अप्रार्थी कम 1 ने खाते में अपना नाम होने का नाजायज लाभ उठाकर आराजी को बैचान कर दिया तो प्रार्थी को आराजी पर प्राप्त चले आ रहे हक हकूकों से वंचित होना पड़ेगा तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। जिससे प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी। अस्तु प्रार्थी अप्रार्थी कम 1 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है कि वह आराजी को कहीं रहन बैचान नहीं करें तथा अप्रार्थी कम 2 को पाबन्द करा पाने का अधिकारी है कि वह रिकार्ड में किसी प्रकार की फेरबदल नहीं करें। प्रार्थी को आराजी का शांतिपूर्वक उपयोग, उपभोग करने दे जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करें न अपने प्रतिनिधियों से करावें। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व वाद पत्र सत्य तथ्यों पर आधारित होने से सुविधा का सन्तुलन एवं न्याय का सन्तुलन प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसलावाद अप्रार्थी कम 1 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा अप्रार्थी कम 2 रिकार्ड में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं करें। ऐसा कृत्य अप्रार्थी कम 1 न तो स्वयं करें न ही अपने प्रतिनिधियों से करावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी कम 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर अप्रार्थी कम 2 का जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया अप्रार्थी कम 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रति प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें कथन किया गया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 1 के मध्य प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी के सम्बन्ध में अदला बदली का सोदा तय हुआ था लिखा पढी भी की थी लेकिन सोदा बिगड जाने के कारण असल दस्तावेज नष्ट कर दिया गया था। वर्तमान में कोई दस्तावेज अस्थित्व नहीं है अतः प्रार्थी किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी बिना किसी अधिकार के जबरन दादागिरी के व रूपयों के बल पर अप्रार्थी कम 1 के खाते की आराजी पर कब्जा कर हथियाना चाहता है। जिसका प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं प्राप्त है। अप्रार्थी कम 1 ने अपने खाते की प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी को दिनांक 22.07.2016 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पवन कुमार पुत्र गोरधनलाल जाति मीना निवासी बरलां को बैचान कर कब्जा सम्भला दिया था प्रार्थी द्वारा विचाराधीन वाद दिनांक 25.07.2016 को बिना किसी आधार के अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध परेशान करने की गरज से पेश किया गया है। जो खारिज होने योग्य है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की छाया प्रति जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। प्रार्थी

Scanned by CamScanner

द्वारा जानकारी होते हुए भी परोपर पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण प्रार्थना पत्र में नोनजोईण्डर ऑफ प्रार्टीज का दोष होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थी बिना किसी अधिकार के गैर कानूनी रूप से अप्रार्थी कम 1 के खाते की प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी को जबरन रूपयो के बल पर हथिया कर कब्जा करना चाहता है। अगर प्रार्थी अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गया तो अप्रार्थी कम 1 को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी। तथा अप्रार्थी को अनेकानेक बाद विवादों में उलझना पडेगा। तथा बाल बच्चों को भूखी मरने की नोबत आ जावेगी। जिसको बिना न्यायालय की सहायता के नहीं रूकवाया जा सकता है। अतः प्रति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी कम 1 प्रार्थी को इस आशय की अस्थाई आदेशात्मक निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। कि प्रार्थी अप्रार्थी कम 1 के कब्जे काश्त स्वामित्व एवं खाते की आराजी पर प्रार्थी कब्जा काश्त न तो स्वयं न ही अपने प्रतिनिधियों से करावें। तथा अप्रार्थी कम 1 के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न तो स्वयं करें न अपने प्रतिनिधियों से करावें। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं वाद पत्र झूटे तथ्यों पर आधारित होने के कारण सुविधा का सन्तुलन एवं न्याय कर सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी कम 1 के पक्ष में है।

अतः माननीय न्यायालय में जवाब प्रार्थना–पत्र मय प्रति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को अस्थाई आदेशात्मक निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने फरमाया जावें कि प्रार्थी, अप्रार्थी कम 1 के कब्जे काश्त स्वात्वि एवं खाते की आराजी पर अप्रार्थी कम 1 को जबरन बेदखल कर प्रार्थी कब्जा काश्त न तो स्वयं न ही अपने प्रतिनिधियों से करावें। तथा अप्रार्थी कम 1 के शान्तीपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न तो स्वयं करें न अपने प्रतिनिधियों से करावें। प्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रति प्रार्थना पत्र का जवाब उल जवाब पेश कर कथन किया गया कि

–:विशेष विवरण:–

प्रार्थी व अप्रार्थी कम 1 के मध्य प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी की अदला–बदली होने की बात स्वयं अप्रार्थी स्वीकार करता है। अदला–बदली होने के बाद स्वयं प्रार्थी ने उस आराजी में दो ट्यूबवल लगवाये थे और पत्थर का कोट करवाया था एवं जमीन को समतल करवाया था। एवं उपज बुवाई थी उसके बाद अप्रार्थी की नीयत में बदयान्ति आ जाने के कारण इस आराजी को अप्रार्थी ने किसी अन्य को बैचान कर दिया। जबकि अप्रार्थी के विरूद्ध माननीय न्यायालय में वाद विचाराधीन था। लेकिन फिर से अप्रार्थी ने प्रार्थी को हानि पहुंचाने के प्रयोजन से अवैध लाभ प्राप्त करने की गरज से आराजी का बैचान कर दिया और अब इस आराजी पर कब्जा करना चाहता है। जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। अप्रार्थी कम 1 ने अपने खाते की आराजी जो प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित है, को दिनांक 22.07.2016 को वाद विचाराधीन होने के बाद भी अवैध बैचान किया है। जबकि इससे पूर्व ही अप्रार्थी ने इस आराजी को अदला–बदली कर कब्जा प्रार्थी को सम्भला दिया था और प्रार्थी ने ही उस आराजी में दो ट्यूबवेलें खुदवाकर मोटर पानी की डलवा दी थी। इस कारण ही दिनांक 22.07.2016 को की गई रजिस्ट्री

Scanned by CamScanner

का नामान्तरण केता पवन कुमार पुत्र गोरधनलाल के नाम नही खुल सका। अप्रार्थी यह तथ्य भी गलत लेकर आया है कि कब्जा खरीददार को सम्भला दिया था। प्रार्थी ही उक्त भूमि पर जबसे अदला–बदली की है तब से ही कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। उसको किसी ने बेदखल नहीं किया और आज भी प्रार्थी ही काश्त कर रहा है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जब माननीय न्यायालय में पेश किया तब तक प्रार्थी की जानकारी में अन्य पक्षकार नहीं था और न ही कही राजस्व रिकार्ड में अन्य पक्षकार का नाम दर्ज था। इसलिये नॉन जोईण्डर ऑफ पर्टीज का दोष नही होने के कारण प्रार्थना पत्र पूर्णतया चलने योग्य है। जिस दिन अप्रार्थी ने प्रार्थी को अपनी आराजी जो प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी है को प्रार्थी की भूमि से बदला–बदली कर कब्जा सम्भला दिया था। उस दिन ही अप्रार्थी के सभी अधिकार इस आराजी बाबत् समाप्त हो चुके थे और प्रार्थी को इस आराजी बाबत् पूर्ण अधिकार प्राप्त हो चुके थे। इस कारण इस आराजी का बैचान ही अप्रार्थी द्वारा गलत एवं अवैध पूर्ण किया गया है। यह बैचान विक्रय पत्र का कोई वैध महत्व नहीं है। इस कारण ही इस विक्रय पत्र का नामान्तरण केता के पक्ष में नहीं दर्ज हो पाया है। इस प्रकार ही अप्रार्थी अपने द्वारा कराया गया अवैध विक्रय के आधार पर प्रार्थी की भूमि पर करना चाहता है। जिसके आधार पर प्रार्थी को बेदखल कर दिया गया और गैर कानूनी तरीके से अप्रार्थी अपने विना किसी अधिकार के प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि पर अवैध विक्रय के आधार पर एवं राजस्व रिकार्ड में नाम होने की वजह से प्रार्थी की कब्जाशुदा भूमि पर जबरन कब्जा कर लेता है तो प्रार्थी द्वारा कराये गये ट्यूबवेल व पत्थर का कोट एवं बदलें में दी गई भूमि व भूमि समतल कराये जाने में किया गया खर्च आदि में बहुत बड़ी हानि प्रार्थी को होगी। जिसकी पूर्ति अन्य किसी प्रकार से किया जाना सम्भव नहीं है एवं प्रार्थी एक सरकारी कर्मचारी है। जिसको अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। जिसका प्रभाव उसके परिवार पर भी पड़ेगा और प्रार्थी के बाल–बच्चों के भूखा मरने की स्थिति आ जावेगी। इसलिये प्रार्थी अप्रार्थी को माननीय न्यायालय की सहायता से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना चाहता है कि वह प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी ख0नं0 40 की 0.02 है0 एवं ख0नं0 41 की 0.51 है0 भूमि ग्राम व माल बरलां की जो प्रार्थी के कब्जे काश्त में है, पर अप्रार्थी कब्जा नहीं करें एवं न ही अपने प्रतिनिधियों से करावें तथा प्रार्थी को शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। ऐसा कृत्य न तो स्वयं करें न ही अपने प्रतिनिधियों से करावें। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रति प्रार्थना पत्र एवं प्रतिवाद पत्र पूर्णतया झूठें एवं मनघडन्त तथ्यों पर आधारित होने के कारण एवं सुविधा का सन्तुलन एवं न्याय का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में होने से अप्रार्थी कम 1 का प्रति प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में जवाब प्रति प्रार्थना पत्र का जवाब उल जवाब पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि अप्रार्थी प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि पर से उसे बेदखल नहीं करें और जबरन कब्जा नहीं करें और न ही अपने प्रतिनिधियों से कब्जा करावें। प्रार्थी को शान्तिपूर्ण अपने कब्जे काश्त की भूमि पर काश्त करने देवें। एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रति प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

Scanned by CamScanner

उभय पक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया अप्रार्थी द्वारा इकरार नामा 22.06.2012 अनुसार अप्रार्थी लटूर लाल द्वारा अपने हिस्से की आराजी ग्राम बरलां की ख0नं0 41 में से 0.51 है0 एवं 40 में से 0.02 बिस्वा कुल 0.53 है0 आराजी अप्रार्थी को दी थी तथा ग्राम बरलां की ख0नं0 849 में से पूरब दिशा की 0.53 भूमि ली थी प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा भूमि की अदली बदली की गई है, प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती, भूमि विनिमय दोनों पक्षकारों द्वारा भूमिधारी तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत होकर अदला–बदली भूमि विनियम को स्वीकार करते हुये विनियम पत्र पर सहमति दी जावें। तभी मान्य होता है। साथ ही उस विनियम पत्र को रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

–:क्रियात्मक आदेश:–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्त के तहत खारिज योग्य है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है, तथा अप्रार्थी कां जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है, कि ग्राम बरलां की खाता संख्या 202 ख0नं0 41 रकबा 0.51 है0 ख0नं0 40 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.53 है0 आराजी में अप्रार्थी को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Scanned by CamScanner